5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — INDIA COURT FEE TWENTY RUPEES

5123

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१६- निगरानी नवीन प्र· 1331/2016
निग - 1331 - I - 16

किरण वाई पुत्री मिट्ठूलाल गुर्जर,
निवासिन ग्राम वसुरिया तेहसील ग्यारसपुर,
जिला विदिशा (मध्यप्रदेश) ।

-----प्रार्थिया

दिनांक 28-4-16 को श्री श्याम० कु० अवस्थी अभि० द्वारा प्रस्तुत/
28-4-16
SO

बिराध्द

मोहन सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह कुशवाह,
निवासी ग्रामवसुरिया तेहसील- ग्यारसपुर
जिला विदिशा (मध्यप्रदेश) ।

----- प्रतिप्रार्थी

निगरानी बिराध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय ग्यारसपुर जिला विदिशा दिनांकी १२-०४-१६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ३८।१४-१५ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, विवादित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एस०डी०ओ० महोदय के व्दारा अवधि विधान की धारा ५ एंवम प्रकरण की प्रचलनशीलता की आपत्ति के सम्बन्ध में तर्क श्रवण किये गये थे किन्तु विवादित आदेश के व्दारा प्रकरण की प्रचलनशीलता की आपत्ति का कोई निराकरण ही नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में जब प्रकरण प्रचलनशील ही न था तब प्रकरण को अंतिम वहस हेतु नियत किया जाना कानूनन सही नहीं है ।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1331-एक/16 **जिला - विदिशा**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	